

पत्रावली पेश हुई। वकील डा. री. उप.। विप्राचयिण के Registered
devisory Report सहित प्राप्त होने के बावजूद उसे उपरि-
नहीं हुआ अतः उनके विरुद्ध एडवोकेट अर्थवाही अदालत में
लड़ि जानी है। पत्रावली वाले बहस हेतु आइन्दा दिनांक
02/07/25 को पेश हो।

02/07/25 पत्रावली पेश हुई। वकील डा. री. उप.। पत्रावली वाले
बहस हेतु आइन्दा दिनांक 23/08/25 को

23/08/25 पत्रावली पेश हुई। वकील डा. री. उप.। कुछ मूलवाद का
निर्णय हो चुका है। उक्तलिये अब उस आवेदन को आगे
चलाने का उसे अधिकार नहीं है। उक्त आवेदन की अर्थवाही
इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसले गुणार
होकर कार्रवाई अफसर को मूलवाद के संलग्न हो।

